छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकरनगर, रायपुर

अपील क्रमांक 136/2006

श्री पदमचंद नाहटा, **एल.आई.जी. 80,** **सेक्टर–2, शंकरनगर,** **रायपुर (छत्तीसगढ़)**	. . . . .	**आवेदक**

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी **प्रमुख अभियंता,** **लोक निर्माण विभाग,** **रायपुर (छत्तीसगढ़)**	. . . . .	**अनावेदक**

:: आदेश ::

(19 मई 2006)

यह प्रकरण श्री पदमचंद नाहटा के द्वारा जन सूचना अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के द्वारा जानकारी समय पर न दिये जाने के विरूद्ध शिकायत करने से प्रारंभ हुआ है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, प्रमुख अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग को कतिपय जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 16–12–2005 को आवेदन दिया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दी, जिसके विरूद्ध आवेदक ने अपीलीय अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को अपील की। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–02–2006 के द्वारा जन सूचना अधिकारी को आवेदक को वांछित अभिलेख प्रदान करने के निर्देश दिये। किन्तु दिनांक 17 मार्च 2006 तक

आवेदन को सूचना नहीं दी गई। जन सूचना अधिकारी ने आवेदन पत्र जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग को प्रेषित किया। इसके विरूद्ध आवेदक ने यह शिकायत की।

मेरे द्वारा शिकायतकर्ता एवं जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के पक्षों को सुना गया। प्रकरण से स्पष्ट है कि आवेदक ने 16–12–2005 को आवेदन दिया था तथा प्रथम अपील 28–12–2005 के अपीलीय अधिकारी के निर्देश के बाद भी आवेदक को जानकारी नहीं दी तथा दिनांक 5–4–2006 को आवेदक का आवेदन–पत्र मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित होने के कारण उन्हें प्रेषित किया गया। आवेदक का यह कथन है कि जन सूचना अधिकारी को निर्धारित अवधि में जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए था तथा लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता लोक प्राधिकारी हैं। अतः उन्हें मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग से जानकारी बुलाकर निर्धारित अवधि में जन सूचना अधिकारी को देना चाहिए था।

शिकायतकर्ता आवेदक के इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ कि जन सूचना अधिकारी प्रमुख अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य अभियंता कार्यालय का भी जन सूचना अधिकारी है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग के अधीन होने से लोक प्राधिकारी की शरण में आता है। प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग का कार्यालय पृथक कार्यालय है तथा मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्यालय पृथक कार्यालय है एवं उसका पृथक विभागाध्यक्ष है।

प्रकरण से अवश्य स्पष्ट होता है कि यदि आवेदक के द्वारा चाही गई जानकारी किसी अन्य जन सूचना अधिकारी के कार्यालय से संबंधित थी तो जन सूचना अधिकारी, लोक निर्माण विभाग को आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही

आवेदक को इसकी सूचना दे दी जानी चाहिए थी कि वे सक्षम जन सूचना अधिकारी के समक्ष जानकारी हेतु आवेदन प्रस्तुत करें अथवा प्राप्त आवेदन जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग को प्रेषित कर देना चाहिए था। अपीलीय अधिकारी के निर्देश के पश्चात् ही जन सूचना अधिकारी ने आवेदन–पत्र स्थानांतरित किया है। आवेदक को मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय के द्वारा जानकारी प्रदान कर दी गई है। जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के द्वारा जानकारी देने में विलम्ब किया गया है। अतः इसके लिए उन्हें चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सतर्क रहें और आवेदन–पत्र का सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात् निर्धारित अवधि में ही निराकरण करें। आवेदक ने जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण होना बतलाया। आवेदक को पूर्ण जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त